(Odisha), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Sulata Deo, (Odisha) and Shri Sant Balbir Singh (Punjab).

Depletion of water bodies and ponds in the country due to illegal encroachment and construction

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे तालाब के संरक्षण के अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से आप सभी लोगों का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? आज गांव और तहसील पर तालाबों को पाटकर घर बनाए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में जारी है। तालाबों पर लगातार कब्जा होने से न केवल मानव, बल्कि जीव-जंतु और हमारे पर्यावरण को भी बहुत ही हानि पहुंच रही है। वर्षा का जल तालाब में इकट्ठा होना था, लेकिन अब तालाबों के अभाव में जल भराव की समस्या जगह-जगह हो रही है। तालाबों पर कब्जा करने में भूमाफिया भी शामिल है, हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने समय-समय पर इसमें कई कठोर नियम बनाए हैं। इसके बावजूद भी तालाबों पर अवैध कब्जा लगातार जारी है। जल शक्ति मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में मौजूद वाटर बॉडीज़ में सबसे ज्यादा हमारे तालाब हैं, जिनका हिस्सा करीब 59.5 फीसदी है, यानी आधे से ज्यादा हैं। तालाब पहले भी पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत था और आज भी बना हुआ है, जिसकी अनदेखी हो रही है। मैं एक मीडिया की खबर भी यहां पर बताना चाहूंगी। नोएडा में 211 तालाब थे, जिनमें भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। 24 अप्रैल, 2024 की एक मीडिया खबर में यह बताया गया है कि देश में लगभग 2.5 लाख तालाब गायब हो चुके हैं।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारों से निवेदन करना चाहती हूं कि हर तहसील में तालाबों की सूची बनाकर उनकी जांच कराई जाए और उस सूची को आम जन के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए। जब मैं चौरी-चौरा में विधायक थी, तब मैंने इस पर काम भी किया था और यह काफी सफल भी रहा था। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि भूमाफियाओं पर सख्त नियम बनाकर उन पर कार्रवाई की जाए और जल संरक्षण कर, देश को पर्यावरणीय संकट से बचाया जाए।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीया संगीता यादव।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Sangeeta Yadav: Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Devendra

Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

Non-compliance of Right to Education Act by some private schools in Bihar

डा. भीम सिंह (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक सामाजिक समस्या की ओर आपका, सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इस संबंध में जो प्रावधान था, वह संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। वहां से निकालकर अनुच्छेद 21 'ए' के रूप में मौलिक अधिकार में शामिल किया। इस अनुच्छेद के किर्यान्वयन के लिए 2009 में राइट टु एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में प्रावधान है कि जो भी निजी विद्यालय हैं, वे विद्यालय भी अपनी सीट्स की 25 प्रतिशत सीट्स पर गरीब बच्चों का नामांकन कराएंगे, लेकिन बिहार में और खासकर कि जो मिशनरी स्कूल्स हैं, उनके द्वारा इसका धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। ये मिशनरी स्कूल एक तरह से शिक्षा माफिया के रूप में उभर गए हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, देश की अन्य जगहों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बिहार की बात करूँ, तो वे विद्यालय, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, वे नामांकन नहीं ले रहे हैं। हमने एक विद्यालय के प्राचार्य से इसके लिए बात की - संत माइकल स्कूल, दीघा, पटना। प्राचार्य ने साफ कह दिया कि हम अपने नियम से चलेंगे, सरकार के नियम से नहीं चलेंगे। हमने उन्हें समझाने के लिए, उनसे मिलने के लिए समय माँगा, उन्होंने समय देने से भी इनकार किया। मेरा सरकार से, आपसे और सदन से निवेदन है कि ये जो इस तरह के स्कूल्स हैं, जो निजी विद्यालय हैं, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, जो सरकार से तरह-तरह के लाभ उठा रहे हैं, जमीन का आवंटन तक सरकार का है, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please; not allowed. ...*(Interruptions)*...

डा. भीम सिंह: वे विद्यालय 25 परसेंट सीटों पर नामांकन नहीं कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... इसलिए ऐसे मिशनरी स्कूलों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और सदन द्वारा पारित 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के तहत जो प्रावधान है कि 25 परसेंट गरीब बच्चों का नामांकन हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Dr. Bhim Singh: Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra and Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh).